न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 120/2018 (225 आरटीए) हनुमानसिंह बनाम राणसिंह वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00266)

हनुमानसिह पुत्र स्व. श्री सुल्तानसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम बड़ली तहसील व जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 राणसिंह पुत्र स्व. श्री नरसिह,

2 तेजसिंह पुत्र स्व. श्री नरसिंह दोनों जातियान राजपुरोहित, ग्राम बड़ली तहसील व जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जोधपुर
दिनांक 19.07.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 17/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा।

2 रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सांगाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 31.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 17/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 17/2017 पेश किया कि रेस्पोडेंट के खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नं. 372/4 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा ग्राम बड़ली तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। इस खेत में सीधे तौर पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण इस खेत में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नं. 450 रकबा 44 बीघा 15 बिस्वा में से रास्ता दिलवाया जावे।

31/8 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि खसरा नं. 372/4 की भूमि के पश्चिम दिशा में अपीलांट का खेत खसरा नं. 450 स्थित है ओर 450 के पश्चिम में गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 321 आया हुआ है। इस रास्ते से रेस्पोडेंट के खेत में आवागमन हेतु रास्ता है वह रिकार्ड में दर्ज किया जावे। रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया और दिनांक 30.01.2018 को पेशी मुकर्रर की गई उसके पश्चात यह पत्रावली अदालत के सामने सुनवाई हेतु कभी नहीं रखी गई ओर दिनांक 01.05.2018 को राजस्व शिविर चौखा में सुनवाई हेतु मुकर्रर की गई थी जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। और बिना किसी विधिक आदेश के 01.05.2018 को मौके की रिपोर्ट रिकार्ड पर ली गई और उस मौके की रिपोर्ट दिनांक 01.05.2018 में वैकल्पिक रास्ते को छुपाकर अधूरी रिपोर्ट पेश की गई उस रिपोर्ट को भी रिकार्ड पर लिए जाने या नहीं लिए जाने का किसी प्रकार का वैध आदेश नहीं दिया गया था तथा दिनांक 01.05.2018 के बाद उक्त पत्रावली कैंप कोर्ट जोलियाली में रखी गई इसकी सूचना व विधिक आदेशिका दर्ज नहीं हैं और कैंप कोर्ट जोलियाली भी 19.07.2018 को मुकर्रर नहीं था उस दिन कोई कैंप कोर्ट का प्रोग्राम नहीं था और एकाएक ही दिनांक 19.07.2018 को उपखण्ड अधिकारी ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एकतरफा स्वीकार कर रास्ते को रिकार्ड में दर्ज करने व खुलवाने का आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं तथ्य के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है। अधीनस्थ न्यायलय ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए मनमाना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया न ही अपीलांट को इस प्रकरण में कार्यवाही करने बाबत सूचित किया गया न ही अधिवक्ता को सूचित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है।

रेस्पोडेंट ने जिस रास्ते बाबत आवेदन किया है उस रास्ते के संदर्भ में

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेंट ने पहले से ही दीवानी वाद पेश कर चुका है और उन तथ्यों को छुपाकर दूसरा प्रार्थना पत्र पेश किया इस कारण रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। रेस्पोडेंट द्वारा खसरा नं. 372/4 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है ओर मौका रिपोर्ट में इस बात का उजागर तहसीलदार की ओर से नहीं किया और बहुत ही संक्षिप्त रूप से रिपोर्ट बनाई है वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। खसरा नं. 372 में खनिज विभाग ने लीज भी जारी की है जिसका भी ध्यान नहीं रखा गया है। अपीलाधीन आदेश अपूर्ण है व निर्णय के मूलभूत तत्व अनिर्णित रखते हुए तहसीलदार को निर्णय करने के आदेश दिए गए हैं जबकि तहसीलदार इस प्रकार का विनिश्चिय करने के लिए सक्षम नहीं हैं। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के समय आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र पेश कर दस्तावेज रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। अपील की सुनवाई के समय आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दस्तावेज रिकार्ड पर लिए जाने में कोई रोक नहीं हैं तथा इस संबंध में अपीलांट के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत 2018(2) सी.सी.सी. 621 (इलाहाबाद), 2018(2) सी.सी.सी. 220 (मद्रास), 2017(सप्लीमेंट) सी.सी.सी. 105 (उड़ीसा), 2017(4) सी.सी.सी. 706 (इलाहाबाद), 2016(4) सी.सी.सी. 017 (इलाहाबाद), 2016(4) सी.सी.सी. 242 (एस.सी) पेश कर दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया अन्यथा वह अधीनस्थ न्यायालय में ही ये दस्तावेज पेश कर देते। अतः न्याय हित में आवेदन स्वीकार कर दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। अपीलांट के अधिवक्ता ने दस्तावेजों का संदर्भ देते हुए स्पष्ट किया कि दिनांक 05.08.2016 को सिविल न्यायालय में रेस्पोडेंट ने दावा पेश किया। तथा उसके बाद धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2017 को पेश किया। जबकि सिविल न्यायालय में रास्ते का दावा वर्तमान में विचाराधीन है तथा उसमें आगामी दिनांक 01.09.2018 है। धारा 251ए एक संक्षिप्त कार्यवाही है जबकि सिविल न्यायालय में इसी रास्ते का दावा विचाराधीन है ऐसी स्थिति में 251ए की कार्यवाही चलने योग्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट ने इस तथ्य को छुपाया है जबकि रेस्पोडेंट का यह दायित्व था कि अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का पूर्ण खुलासा करते। रेस्पोडेंट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिंदु संख्या 3 में प्रार्थी ने यह कथन किया है कि "*अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं. 450 से प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते को नजरी नक्शे में बमार्क लाल रंग से दर्शाया गया है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत*

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 372/4 की भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौके पर न तो कभी विद्यमान रहा है और न ही आज दिन है।" अतः इस प्रकरण में धारा 10 सी.पीसी. लागू होती है क्योंकि नजरी नक्शे में अंकित रास्ते के लिए समान पक्षकारान के मध्य सुखाचार के तहत दावा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं था फिर भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है व उस पर निर्णय पारित कर दिया है। दिनांक 01.05.2018 के बाद उक्त पत्रावली कैंप कोर्ट जोलियाली में रखी गई इसकी सूचना व विधिक आदेशिका दर्ज नहीं हैं और कैंप कोर्ट जोलियाली भी 19.07.2018 को मुकर्रर नहीं था उस दिन कोई कैंप कोर्ट का प्रोग्राम नहीं था और एकाएक ही दिनांक 19.07.2018 को उपखण्ड अधिकारी ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एक तरफा स्वीकार कर रास्ते को रिकार्ड में दर्ज करने व खुलवाने का आदेश पारित किया गया। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का और सिविल न्यायालय के निर्णय आने तक कार्यवाही को रोकने का निवेदन किया।

5 रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सांगाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 251 के तहत प्रावधान पहले से ही था तथा वर्तमान में भी इस प्रावधान को नहीं हटाया है। धारा 251ए का प्रावधान नए रास्ते के लिए नया जोड़ा गया है। दोनों प्रावधान अलग–अलग हैं समान नहीं हैं। धारा 251 के अंतर्गत सुखाचार के तहत रास्ता घोषित किया जाता है जिसके अंतर्गत रास्ता 20 साल से अधिक से चालू होना चाहिए तथा ऐसे रास्ते को कोई बंद करता है तो उसके विरुद्ध दो वर्ष की अवधि के भीतर ही दावा किया जा सकता है। सुखाचार के तहत राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं किया जा सकता है। धारा 251ए में रास्ते को प्रतिकर के बदले राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का प्रावधान किया गया है एक तरह से विक्रय या भूमि अवाप्ति जैसी कार्यवाही है जिसके फलस्वरूप रास्ता राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज हो जाता है। अपीलांट ने 2016 में जब पत्थर लगाकर रास्ता बंद कर दिया तो धारा 251 के तहत तहसीलदार लूणी को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इसके बावजूद रास्ता नहीं खोला। उसके पश्चात सुखाचार के तहत सिविल न्यायालय में दावा किया जो किसी विधि द्वारा बाधित नहीं हैं जो विचाराधीन है। रास्ते को रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए धारा 251ए के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया। न्याय आपके द्वार में रास्ते को दर्ज करने के लिए निवेदन किया गया। न्याय आपके द्वार की भावना को मध्य नजर अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं.

3/31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

450 की माट–माट के सहारे रास्ता दिया है। इस प्रकार सिविल न्यायालय में विचाराधीन रास्ते से यह भिन्न रास्ता है जो धारा 251ए के तहत दिया जा सकता है क्योंकि धारा 251ए में प्रतिकर के बदले नए रास्ते का आदेश किया जा सकता है व उसका राजस्व रिकार्ड में अंकन भी होता है। इससे प्रार्थी की रास्ते की समस्या का पूर्ण समाधान हो गया है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता देने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त है। रास्ते के संबंध में धारा 251ए में प्रावधानों को पढ़कर बताया।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस में तर्क किया कि इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ने उपरोक्त प्रावधान के अनुसार धारा 251ए के तहत जांच करवाकर रास्ता अनुज्ञात किया है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश कैंप कोर्ट का नहीं हैं बल्कि कंम्प्यूटर की मिस्टेक के कारण आदेश में कैंप कोर्ट छप गया है। इस गलती या अनियमितता के आधार पर आदेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार की तकनीकी त्रुटि अवैधानिकता की श्रेणी में नहीं आती हैं। धारा 152 सी. पी.सी के तहत स्व.प्रेरणा से न्यायालय ही ऐसी त्रुटियों को ठीक करने के लिए सक्षम है।

रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज यदि इस प्रकरण में आवश्यक हैं तो रिकार्ड पर ले लिया जावे यदि आवश्यक नहीं हैं तो रिकार्ड पर नहीं लिया जावे। इस प्रकार आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की व इस संबंध में अंतिम निर्णय न्यायालय पर छोड़ दिया।

रेस्पों के अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि यह प्रकरण धारा 10 सी.पी.सी. के तहत नहीं आता है। क्योंकि सिविल न्यायालय में दावा धारा 251 के तहत है तथा यह प्रार्थनापत्र धारा 251ए के तहत है। धारा 10 सी.पी.सी. के लिए पक्षकार व विषयवस्तु तथा सैक्शन समान होना चाहिए इस प्रकरण में सैक्शन व विषय वस्तु अलग–अलग है। तथा अंतिम रूप से जिस स्थान पर रास्ता अनुज्ञात किया गया है वह अलग स्थान पर है इसलिए इस प्रकरण में धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस प्रकरण में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को राशि अदा करने के लिए डी.डी. तैयार कर दिए गए परंतु उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया अतः अधीनस्थ न्यायालय को जमा कराए जा चुके हैं। इस प्रकार सभी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अपीलांट का कथन है कि दिनांक 01.05.2018 की आदेशिका दर्ज नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दर्ज है। तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

उपरोक्त बहस व प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि या अवैधानिकता नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

6 अपीलांट अधिवक्ता ने पुनः बहस (रिपीटल) में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से जब आदेशिका सहित संपूर्ण पत्रावली की नकल मांगी थी तो उन्हें 01.05.18 और उसके बाद की कोई आदेशिका की नकल नहीं दी गई है इससे यह स्पष्ट है कि आदेशिकाएं बाद में लिख दी गई हैं। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने प्रकरण में सिविल न्यायालय में किए गए दावे के तथ्य छुपाए हैं उस संबंध में बहस में कोई खण्डन नहीं किया है। रेस्पो. के अधिवक्ता का कथन है कि रास्ते के लिए केवल उपखण्ड अधिकारी को संतुष्ट होना है जबकि धारा 251ए में ऐसा नहीं हैं बल्कि धारा 251ए में खातेदारी भूमि तक पहुंचने के साधन का अभाव सिद्ध किया जाना आवश्यक है तथा उपखण्ड अधिकारी धारा 251ए के तहत बनाए गए नियमों के तहत पक्षकारों की आपत्ति सुनने के पश्चात ही आदेश करने के लिए अधिकृत है। इस प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कैंप कोर्ट संबंधी आदेश वर्तमान में भी है इसे दुरस्त नहीं करवाया गया है। धारा 251 व 251ए में मामूली फर्क है जब सिविल न्यायालय में दावा विचाराधीन है तो धारा 251ए इस प्रकरण में लागू नहीं हो सकती क्योंकि इससे वैकल्पिक साधन का अभाव प्रमाणित नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सी.पी. सी. के प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नहीं किया है। तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज धारा 251 के उसी रास्ते के हैं जहां से अधनीस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ते के लिए रेस्पोडेंट ने धारा 251ए के तहत रास्ते के लिए आवेदन किया है। अतः ये दस्तावेज इस प्रकरण में आवश्यक एवं अहम हैं अतः न्यायहित में एवं अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों के अनुसरण में अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेज रिकार्ड पर लिए जाते हैं।

इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसकी वैधानिकता का परीक्षण करने के लिए अधनीस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली व आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश एक

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षीय है जिसमें अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। रेस्पोडेंट का यह कथन कि सिर्फ उपखण्ड अधिकारी को संतुष्ट होना है उचित नहीं हैं। धारा 251ए के तहत संबधित नियमों के तहत ही आवेदन पर कार्यवाही अपेक्षित होती है। धारा 251क के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 तक विहित प्रक्रिया इस प्रकार है :– रास्ते के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी, जो भू–अभिलेख निरीक्षक से कम रैंक का न हो, से निरीक्षण करवाएगा और प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी का पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी जांच जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात यदि समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और (2) अन्य खातेदार की जोत से होकर विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाता है। तो वह आवेदन अनुज्ञात कर सकेगा। आवेदन उपखण्ड अधिकारी द्वारा 90 दिन के भीतर विनिश्चय किया जावेगा। अतः आपत्तियों को सुने बगैर व सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण व नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस प्रकरण में आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि प्रकरण के निस्तारण भारी अनियमतिता बरती गई हैं। दिनांक 30.01.2018 से 01.05.2018 तक आदेशिकाओं में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही रीडर के हस्ताक्षर हैं। केवल मोहर लगाकर तारीख पेशी अधीनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा दिया जाना प्रतीत होता है। 01.05.2018, 18.06.2018 व 19.07.2018 की आदेशिका नवीन आदेशिका में नए पेज पर लिखी गई है। अपीलांट के अधिवक्ता का आरोप है कि उन्होंने संपूर्ण पत्रावली की नकल के लिए आवेदन किया था परंतु उन्हें दिनांक 01.05.18 व उसके बाद की आदेशिकाओं की नकल नहीं मिली थी। अतः ये आदेशिकाएं पीछे की तारीखों में अपील के बाद लिख दी गई हैं। उपरोक्तानुसार आदेशिकाओं व पत्रावली के संधारण में संबधित रीडर प्रथमदृष्टया लापरवाही बरतना प्रतीत होता है जिसके लिए प्रथक से जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रतिवदेन भिजवाया जाना उचित समझता हूं। आदेशिकाओं के अवलोकन से समस्त कार्यवाही एक पक्षीय व अपीलांट को सुने बगैर की गई हैं अतः अपीलाधीन आदेश नियमों व कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने के कारण खारिज योग्य पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की मौका

3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फर्द के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के संबंध में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं की है। इस प्रकार इस प्रकरण में धारा 251क की उपधारा 1(ख) (ii) के बिंदु कि अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव (Absence of Alternative means of access) अधीनस्थ न्यायालय ने सिद्ध नहीं किया है। जिसके अभाव में निर्णय विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उनसे यह प्रमाणित है कि रेस्पोडेंट प्रार्थना पत्र वाले स्थान पर रास्ते का अस्तित्व स्वयं मानता है एवं उसको आधार बना कर सिविल न्यायालय में दावा किया है। इस प्रकार एक ही रास्ते के पूर्व में दर्ज दावा से विरोधाभाषी तथ्यों का आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 251क के अंतर्गत पेश किया है। धारा 251 के तहत दावा विचाराधीन होने से प्रार्थना पत्र में अंकित स्थान पर आराजी में पहुंचने का रास्ते की उपलब्धता है जिसे स्वयं प्रार्थी सिविल दावे में स्वीकार करता है। कोई रास्ता सुखाचार के तहत उपलब्ध है तो यह वैकल्पिक साधन की श्रेणी में आता है। यदि इस सुखाचार के रास्ते को तात्कालिक रूप से बंद कर दिया गया है तो उसे खुलवाने व रास्ता घोषित करने के लिए दावा विचाराधीन है। जब तक दावा विचाराधीन है तब तक वैकल्पिक साधन उपलब्धता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में धारा 251ए के तहत नया रास्ता दिए जाने का नियमों में प्रावधान नहीं हैं। इसके अलावा रेस्पोंडेट ने सिविल न्यायालय में दावे के तथ्यों को छुपाया है जबकि उसी स्थान पर नए रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पाया जाता है। इस प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता तर्क न्यायोचित प्रतीत होता है कि सिविल न्यायालय में दावा विचाराधीन रहने तक धारा 251ए की कार्यवाही को रोक देना चाहिए। दर असल धारा 251 से सिविल न्यायालय से ही यह सिद्ध हो सकता है कि सुखाचार के तहत रास्ता उपलब्ध है या नहीं। यदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता सिविल न्यायालय द्वारा सुखाचार के तहत घोषित कर दिया जाता है तो धारा 251ए के तहत पारित आदेश वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता के कारण अवैध होगा। यदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता सुखाचार के तहत नहीं माना जाता है तो धारा 251ए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता देने के संबध में कार्यवाही की जा सकती है। जहां तक रेस्पोडेंट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत नहीं किया है बल्कि खसरा नं. 450 की माट–माट के सहारे स्वीकृत किया है। लेकिन इस तर्क की मदद रेस्पोडेंट को नहीं

3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मिल सकती। प्रथम तो यह है कि खसरा नं. 450 के माट–माट रास्ता प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में मांग नहीं की है बल्कि उसने खसरा नं. 450 में बरंग लाल से दर्शित रास्ते की मांग की है जिससे संबंधित सिविल न्यायालय में भी वाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उसके आवेदन में दर्शाए गए स्थान पर रास्ता देने या नहीं देने के संबंध में ही निर्णय किया जाना चाहिए था यदि आवेदन में रास्ता दर्शाया नहीं होता तभी निकटतम या लघुतम रास्ता दिए जाने के प्रावधान हैं। इस संबंध में धारा 251ए के नवीन मार्ग से संबधित प्रावधानों को अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है :–

251ए. अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइप लाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना : (1) (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जो या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है– और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि– (i) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और जोत के लिए सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं, और (ii) अन्य खातेदार की जाते में से होकर, विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है – तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, ऐसे ट्रैक पर जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाए, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाए तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग 30 फुट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को जो उस भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर एक नया मार्ग बनााने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, अनुज्ञात कर सकेगा।

9 उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि आवेदन में दर्शाए गए स्थान पर रास्ता देने या नहीं देने के संबंध में ही निर्णय किया जाना चाहिए था यदि आवेदन में रास्ता दर्शाया नहीं होता तभी निकटतम या लघुतम रास्ता दिए जाने के प्रावधान हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता लघुतम

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

या निकटतम होने का भी कोई उल्लेख नहीं हैं अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश धारा 251ए व उनसे संबधित नियमों से असंगत होने के कारण निरस्त करने एवं प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है। इसके अलावा उपरोक्त विवेचन के अनुसार सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद से यह प्रकरण पूर्णतया प्रभावित है अतः धारा 251ए की समस्त कार्यवाही सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय तक रोका जाना न्यायोचित है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में सिविल न्यायालय के निर्णय के पश्चात प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर धारा 251ए व उससे संबधित बनाए गए नियमों की पूर्ण पालना करते हुए प्रार्थना पत्र का पुनः नए सिरे से निस्तारण करें। इसके अलावा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या–3 जोधपुर महानगर में विचाराधीन वाद सं. 73/2015 राणसिंह वगै. बनाम हनुमानसिंह के निर्णय तक अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251ए से संबंधित कार्यवाही को रोकने के आदेश दिए जाते हैं।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर